IJAER/November-December 2016/Volume-5/Issue-3/Article No-2/ 07-10 ISSN: 2278-

International Journal of Arts & Education Research

# उत्तराखण्ड में जनजातियों का स्तर एंव शिक्षा

डॉ0 ऊषा शाही
विभागाध्यक्ष – बी.एड. विभाग
सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या
बी.एड.महाविद्यालय
किच्छा (ऊधम.सिंह.नगर)

भावना पाण्डेय्
प्रवक्ता – बी.एड.विभाग
देवभूमि इंसीट्यूट ऑफ
प्रोफेशनल ऐजुकेशन, लालपुर
रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

जनजातियों की आबादी भारत में अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। अण्डमान–निकोबार द्वीप समहों सहित भारत मेंरने वाली 700 से अधिक जनजातियों और आदिम जातियॉ मूल रूप चार आदिम मानव समहों की शाखाऍ हैं।

इनमें से पहली समह नीग्रीटैड ए दूसरा समह प्रोटो– आस्ट्रोलायडए तीसरा समूह मंगोलायड या मंगोलियन एंव चौथा समह काके रूवायड की है।

वैसे तो भारत में अनेक जातियॉ पायी जाती हैं। एक प्रकार से कहा जाये तो भारत जातियों का अजायबघर है। यहॉ 3ए000 जातियॉ हैं। भारतीय जाति सोपान में सबसे नीचे अनुसूचित –जातियॉ एंव जन–जातियॉ आती है। भारतीय संविधान की धारा 341 एंव 342 के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जिन जातियों को राष्ट्रपति ने विज्ञाप्ति जारी करके सूचीबद्व किया है, उन्हे अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन–जाति की सांा दी गयी है।

यह वर्ग वर्तमान में आधुनिक समाज से अत्यधिक पिछड़ गया है जिस कारण यह अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। आज आवश्यकता है इनकी समस्याओं का निराकरण करके इन्हे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का इसलिए भारतीय संविधान की धारा 46 के अन्तर्गत–राज्य को इन वर्गो के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। संविधान की छठीं अनुसूची में जिन जनजातियों के लिए व्यवस्था रखी गयी है, उन्हे अनुसूचित जनजाति (Schedule tribes) कह कर सम्बोधित किया गया है।

जन–जातियॉ वह समूह होती है, जिसमें एकता की भावना हो, रक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। धर्म तथा राजनीतिक संगठन हो, इनका अत्मक अस्ति हो तथा इनका सामान्य धर्म हो।

जनजाति को आदिवासी, आदि जाति, अनुसूचित जन–जाति व वन्य जाति आदि अनेक नामों से सम्बोधित किया जाता है। ये जातियॉ अपनी प्राचीन विशिष्ट संस्कृति एंव आदिम जीवन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने पारम्परिक मूल्यों एंव सामाजिक–सांस्कृतिक पद्वति को अपनाते हुए सजातीय या नस्लीय प्रमाण को निर्धारित करती है। इसी कारण इन्हे आदिम जाति या आदि जाति हैं। वनों में या वनों के आस–पास में विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण इन्हे अनुसूचित जन–जाति कहते हैं।

इनकी इन्ही विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञानों द्वारा इन्हे परिभाषित किया गया है। जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति परिवारों का वह समूह या समुदाय है जो किसी विशेष भू–स्थ्ल का स्वामी जो राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से श्रंखला या स्वायन्त शासन चला रहे हैं। ये जन–जातियॉ मानव जातीय (नस्लीय) समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारत में इस जन जातियॉ की संख्या बहुत हैं। परन्तु उत्तराखण्ड में भी ये जन जातियॉ बहुतायत में बसी हुई ह ै।

उत्तराखण्ड राज्य उत्तर प्रदेश से 9 नबम्वर 2000 को पृथक होकर अस्तित्व में आया। यह भारत का 27 वॉ राज्य है। उत्तराखण्ड हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। अन्य हिमालयी राज्यों के समान इसका भी अधिकांश भू–भाग पर्वत एंव वनों से आच्छादित है। भोगोलिक वातावरण के कारण यहॉ बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया और सुदूर पर्वतो, वनों में रहने के कारण ये जातियॉ भी विकसित नहीं हो पायी तथा मुख्य धारा से कट गयीं।

उत्तराखण्ड में ये जनजातियॉ हजारों वर्षो से रहती आ रही है विद्वान मानते है कि ये जनजातियॉ ही यहॉ की मूल या आदि निवासी है लेकिन अलग परिवेश के कारण ये विकास की दौड़ में पीछे रह गयी। देश की इन आदिम जातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से 1967 में एक अधिनियम के माध्यम से इन्हे अनुसूचित जनजातियों को अनुसूची में आकर आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी, फिर भी ये जनजातियॉ सामाजिक एंव आर्थिक रूप से उतनी विकसित नहीं हो पायी जहॉ आज एक सभ्य समाज खड़ा है। इसके पीछे या तो इनकी अपनी संस्कृती, अपनी पहचान या अपनी परम्परा रही है या शिक्षा का अभाव या राजनीतीकरण उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से ये जनजातियॉ निवास करती है तथा इनका स्तर निम्नवद है।

1. जौन सारी– जौन सारी कोई जाति नहीं है, जौनसर बावर क्षेत्र की उपजातियों का एक समूह है। ये राज्य के लुण्डवर्ग 365 गॉवों में बसी हैं। ये जनजातियॉ देहरादून जनपद के चकराता कालोनी एंव बावर क्षेत्रों के टिहरी गढ़वाल की पहड़ियों, ाारत मण्डल क्षेत्र में निवास करती हैं इस जनजाति की उत्पत्ति मंगोलों तथा दोनों के मिश्रण से हुई है येक हिन्दू देवी देवता की पूजा नही करते बल्कि 'महसू' देवता की पूजा करते हैं। यघपि कि कुछ लोग इन्हे विष्णु का ही अवतार मानते है लेकिन यह कितना प्रामाणिक है इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये पांडवों को अपना पूर्वज मानते है। ये कृषि एंव कारीगरी द्वारा अपना पेट भरते ह ैजनयंख्या की दृष्टि से ये उत्तराखण्ड में प्रामि स्थान पर आते हैं।
2. थारू – थारू जनजाति का प्रसार या फैजाव उत्तराखण्ड के तराई से लेकर बिहार तक तथा उत्तर में नेपाल तक है। उत्तराखण्ड में इनकी आबादी मुख्यतः ऊधम सिंह नगर जिले में सितारगंज से खटीमा के 144 गॉवों में है पौड़ी जनपद के लालढौग क्षेत्र भी इन जनजातियों की बस्तियॉ है ये स्वयं को महाराणा प्रताप के सैनिकों के वंशज मानते है। राजस्थान के थार क्षेत्र से यहॉ आकर बसने के कारण इन्हे थारू कहा जाता है। इनकी मुख्य आजीविका खेती है तथा जमीन से जुड़ने के कारण यह स्थिर जन जातियों में से एक है। थारू जनजाति में होली एक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसे वे पूरे एक माह आठ दिन तक मनाते है। थारू जिसे भाषा का प्रयोग करते है उन्हे थारू भाषा कहते है। इसमें नेपाली मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी के मिले–जुले शब्द होते है।
3. बोस्ड़ा या बुक्सर– इस जनजाति के लोग नैनीताल के रामनगर, ऊधम सिंह नगर के बाजपुर, काशपुर, गदरपुर, देहरादून जिले के डोईवाला, सहसपुर पौड़ी जनपद के बुगद्डा विकास खण्डों में लगभग 173 गॉवों में बसे है। जनसंख्या की दृष्टि से बुक्सा आबादी का 63–607 भाग नैनीताल जिले में निवास करती है। बुक्सा जनजाति में विभिन्न परम्परायें पायी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बुक्या शब्द का विकृत रूप है जिसका अर्थ जड़ होता है। जो इनका बुनियादी भोज्य पदार्थ है। दूसरे पारम्परिक राज्यों के अनुसार अपने रख–रखाव यानि बिखरे बाल एंव गन्दगी के कारण इन्हे बोक्सा कहा जाता है जिसका अर्थ पहाड़ी भाषा में बेकरी है। देहरादून एंव बिजनौर जिले में इन्हे मेहरा कहा जाता है जो हिन्दी शब्द मेहरम का विकृत रूप है। जिसका अर्थ ज्ञानी व्यक्ति है क्योंकि इनके द्वारा पर्यटकों के लिए मार्ग दर्शकके रूप कार्य किया जाता था। ये जन जातियॉ दक्षिणी पठार से मुस्लिम आकृमणकारियों के आंतक के फलस्वरूप यहॉ आकर बस गयी ये अपना सम्बन्ध राजपूत घराने से मानते है तथा राजवंशी, चन्द्रवंशी को अपना पूर्वज मानते है।
4. भोटिया– इस जनजाति की परम्परागत् आबादी हिमालय क्षेत्र में लगभग 12.800 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में है। इनका फैलाव उत्तराखण्ड में लगभग 291 गॉवों में है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भोट प्रदेश में रहने के कारण इन्हे भोटिया कहा जाता है। उत्तराखण्ड के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में तिब्बत व नेपाल के सीमावर्ती भू–भाग को भोट–प्रदेशकहते है। भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति के वंशज है। इनकी भाषा रहन–सहन रीति–रिवाज में थोड़ा बहुत तिब्बतों अंश का समाबेश हुआ है। धार चूला के भोटिया के रं (रंड्.) तथा मुनस्यारी वालों को शैका के नाम से जाना जाता है जबकि चमोली में इन्हे मारदा और तोरदा कहा जाता है। जाडुंगा तथा निलंब घाटियों के भोटिया को जाड कहा जाता है। जाड बौद्व धर्म है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्तियों की संख्या भेटिया जनजाति में हो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एंव पशुपालन है।
5. राजी या वनरावत– भारत की विलुप्त होती जनजातियों में वेनराजि राजी या वनरौत जाति भी शामिल है। इनके 9–10 गॉवों में 143 परिवार हैये गॉव पिथौरागढ़ कजले के विकास खण्ड धारचूला व डीडीहाट विकास खण्डों के किम खोला चिपक गया था गाना गॉव मौका तिरबा चौरानी, कुनाकनयाल, जमतदी तथा चम्पावत जनपद में निवास करती है।

वन राजियों की नवीनतम आबादी 679 दर्ज हुई हैं। 1967 में इन्हे जनजाति घोषित किया गया।

भाषायी आधार पर राजियों का राज हकिरात होने का अनुमान लगाया जाता है प्राचीन काल में भोजन की तलाश मे ये एक कन्दरा से या एक जंगल से दूसरे जंगल खाना बदोश की तरह घूमते थे। परन्तु अब सरकार के प्रयास से गाँवो में इन्हें जमीन आबंटित कर ददी गया हो ये प्रायः वन्य प्रदेशों मे निवास करना ज्यादा पसन्द करते है ये जंगल के देवता कर पूजा करते हैं तथा बहुत अन्ध विश्वासी होत है इनकी भाषा मे संस्कृत व तिब्बती शब्दो की भरमार मिलती है इन लोंगो में शिक्षा का नितान्त अभाव है इन लोंगो का मुख्य व्यवसाय जंगल से लकड़ी काट कर बेचना तथा लकड़ी के सामान बना कर बेचना है। परन्तु जंगल काटने पर प्रतिबन्ध लगने के बाद मजदूरी करनें लगे है।

यद्यपि कि ये जनजातियाँ भारत की ही मूल निवासी है किन्तु विकास क्रम मे ये क्यो पिछ़डती चली गयी। इसके पीछे कारण यह था कि इन जनजातियों ने मुस्लिमों एवं अंग्रेजो का कड़ा विरोध किया तथा अपनी संस्कृति एवं परम्परा पर किसी भी प्रकार का तुषाराघात नहीं होने दिया तथा अन्त मे ये अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु पलायित होकर जंगलों वनों एवं सुदूर इलाको मेब स गयी तथा इन्हे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। अंगेजो ने भी इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे–धीरे से समाज की मुख्य धारा से करती गया ओर अन्त में ये

अलग–थलग पड़ गयी और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उतनी विकसित नहीं हो पायी जहाँ आज एक सभ्य समाज खड़ा है। इसके पीछे या तो इनको संस्कृति परम्परा रही जिसें ये छोड़ नहीं पायी या शिक्षा का अभाव रहा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने संविधान की अनुसूची मे इन्हें सम्मिलित करके इनके विकास हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है परन्तु सरकार द्वारा चलायी गयी सभी योजनाएँ पूर्णरूपेण इन तक नहीं पहुँच पा रही है वास्तविक यह हैं कि किसी भी राष्ट्र या समाज का उत्थान शिक्षा एवं आर्थिक पक्ष पर ही निर्भर करता हैं। शिक्षित वर्ग ही जागरूक होकर समाप्त योजनाओं का लाभ उठा सकता हैं। इसके विपरीत यहाँ स्थिति यह है कि अधिकांश जनजातियाँ आज भी अशिक्षा एवं अज्ञानता के अन्धकार मे पल रही हैं। यदि देखा जाए तो अशिक्षा ही समाप्त समस्याओं का मूलाधार हैं। जिसके कारण उन्हें अनेकानेक अंधविश्वासों एवं कुसंस्कारों ने जकड़ रखा है।

आज केन्द्र सरकार एवं राजय सरकार द्वारा इन्हे शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा हैं, उसके फलस्वरूप इन जनजातियों का शैक्षिक आकलन 2011 निम्नवत् हैं।

| जनजाति | शैक्षिक योग | पुरूष | महिला |
|---|---|---|---|
| भोटिया | 79.9 | 91.5 | 69.1 |
| बुक्सा | 49.9 | 66.0 | 32.4 |
| जौनसारी | 58.9 | 71.7 | 44.8 |
| राजी | 35.8 | 47.2 | 22.5 |
| थारू | 69.0 | 80.4 | 53.1 |
| सम्पूर्ण जनजाति योग | 63.2 | 76.4 | 49.4 |

आज शिक्षा का जो प्रारूप या शिक्षा व्यवस्था है उसके फलस्वरूप जनजातियों के बीच दो प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है–

1. विद्यार्थी अपने जनजातिय संस्कृति से दूर होते जा रहे है जो इनके बुजुर्गो द्वारा पसन्द नहीं हैं।
2. जनजातियों में भी शिक्षित बेरोजगारों की समस्या उत्पन्न हो रही हैं।

यद्यपि कि भारतीय संविधान की धारा 46 के अन्तर्गत राज्य के इन वर्गो के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम व्यवस्था करने के लिए कहा गया। जनजातिय समुदाय का सांस्कृतिक एवं शैक्षिक समस्याओ को दूर करने के लिए अलग–अलग सुझाव आये।

1. जनजातिय सम्बन्धी आयोजन एवं शिक्षा उन्हीं की भाषा और सांस्कृति पृष्ठभूमि के अनुसार होनी चाहिए, ताकि अपनी संस्कृति के प्रति अनासाि के भाव उनके मन से मिट जाए। इससे भाषा सम्बन्धी समस्या का समाधान की सरल होगा।
2. श्री एलबिन ने जनजातिय आश्रित कलाओं की रक्षा हेतु यह सुक्षाव पेश किया कि पश्चिमी अफ्रीका के Achimota college की भाँति भारतवर्ष मे भी जनजातिय ललित कलाओ के रक्षार्थ कॉलेज होना चाहिए।
3. धार्मिक समस्याओं का सबसे आसान हल यह होगा कि शिक्षा द्वारा उनकी धार्मिक कट्टरता को एक वैज्ञानिक स्तर पर ले आया जाए।

## इसी क्रम में डॉ0 पी0सी0 विश्वास ने निम्नलिखित सुझाव दिए–

1. जनजातियों को उनकी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रदेशिक भाषा को गौण स्थान मिलना चाहिए।
2. शिक्षा के साथ–साथ दस्तकारी या अन्य पेशा सम्बन्धी प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें व्यवसाय चयन में कठिनाई न हो और वे परिश्रम का मूल्य समक्ष सकें।
3. शिक्षा के साथ–साथ नृत्य, संगीत, खेल तथा अन्य जनजातिय मनोरंजन का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए तथा स्कूलों की हुडियाँ, सामाजिक बाजार के दिन जनजातिय त्यौहारों के अनुकूल होने चाहिए।
4. स्कूल दो प्रकार के होने चाहिए प्राथमिक स्कूल और व्यवसाय सम्बन्धी स्कूल। इन स्कूलों में खेती करने, मछजी पकड़ने, पशुओं को पालने आदि के सम्बन्ध में व्यावहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त इस वर्ग मे व्याप्त अशिक्ष के दूर करने एवं शिक्षा प्राति हेतु अभिप्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठायें गए हैं। जो निम्नवत् है–

1. इन लोंगो के लिए सभी प्रकार के शिक्षण–संस्थानों, इन्जिनियरिंग कॉलेंजों, विश्वविद्यालयो, केन्द्रिय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों आदि में स्थान आरक्षित किए गए है, तथा न्यूनतम योगयता मे छूट दी गयी हैं।
2. प्रतियोगी परीक्षाओं आई0आई0टी0 आदि परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई हैं।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षरा जूनियर एवं सीनियर रिसर्च फैलोशिप, टीचर फैलोशिप एवं रिसर्च एसोसियटशिप प्रदान की जाती हैं।

4. केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं केन्द्रशासित राज्यों को यह निर्देश देती है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों मे स्कूल खोलने मे वरीयता हैं।
5. जनजाति क्षेत्रों में इन्हीं की भाषा मे शिक्षा देने का प्रावधान है तथा द्विभाषा पढ़ाने के सन्दर्भ मे NCERT तथा CILL (Central Institute Of India Language) के द्वारा पुस्तकें तैयार करें।
6. शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यक्रमों को दन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए।

यद्यपि कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है। परन्तु प्रगति को जो ग्राफ होना चाहिए वह दिखाई नहीं देता। इसके पीछे सभ्य समाज की कठिन मानसिकता एवं इस जाति का दब्बूपन ही कारण रहा है। इसके लिए आवश्यकता हैं कि जनजाति समाज में जागरूकता लाई जाये। समय–समय पर इन क्षेत्रों के युवाओ एवं बुजुर्गो की काउन्सलिंग की जाए तथा उन्हें विकास के नये संसाधनों से परिचित कराया जायें।

अन्ततोगत्वा हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब तक ये अपने नवीन परिवेश मे ढ़लने के लिए तत्पर नहीं होंगे इनका विकास नहीं हो सकता। अतः सबसे पहले इन्हें विश्वा समे लेकर इनकी मानसिकता को बदलना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा निद्यम्न प्रयत्न किए जाने चाहिए।

1. समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अन्य सामाजिक परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों के साथ इनकी परम्पराओं एवं रीति रिवाजों को पाठ्यक्रम मे स्थान देना चाहिए, जिससे अन्य नागरिक की उसने परिचित होकर इनके साांि सामन्जस्य स्थापित कर सके।
2. इनके उपलब्ध संसाधनों द्वारा ही इनके आर्थिक विकास हेतु प्रयास किए जाए। जिसने ये आर्थिक रूप से सुपुर्द बन सके तथा अन्य समाज के लोग इनका दोहन न कर सके।
3. इनके लिए अलग–विद्यालय न खोलकर इन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ने व मिलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि विद्यालय इनके गाँव या क्षेत्र के समीप हो।
4. इन्हें शहर के समीप बसायें जाने का कार्य करना चाहिए। सुदूर क्षेत्र में रहने पर इनका विकास संभव नहीं है। जहाँ इन्हें बसाया जायें वहाँ सम्पूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। जैसे– बिजली, स्वच्छ पानी, स्वच्छवातवरण अस्पताल आदि।
5. ये जहाँ पहले बसे थे उस जमीन को इन्हें खेती का काम करने देना चाहिए जिससे बुजुर्ग अपने कार्य का करते रहें।
6. इन समस्त जन जातियों का अपना इतिहास है अतः इनकी सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इतिहास विषस मे शामिल किया जाना चाहिए।
7. राजनैतिक मोहरा बनाने से बचना चाहिए ये सिर्फ वोट बैंक नहीं आपके यहाँ के नागरिक है।
8. इन जनजातिय परिवारों को शिक्षा हेतु जागरूक किया जाना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी के दौर में ये सोंचते है कि पढ़ लिखकर क्या करेंगे। नौकरी मिल नहीं सकती। इन्हें इसका मान कराना चाहिए कि शिक्षित होकर हम अपना रोजगार, विकास बेहतर ढँग से कर सकते है। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए है इस अवधारणा को परिवर्तित करना हैं। बहुत पहले मैथिली शरण गुप्त ने कहा था।

शिक्षा तुम्हारा नाश हो।
जो नौकरी के हित बनी।।

मेरा विचार है कि इन्हीं परिवर्तनों के साथ इन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।